LGD Notification No. - LGD/UK/V11/20240702114113

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

एल.जी.डी की अधिसूचना

सत्यमेव जयते

LGD Notification

Rename Village

Published By		**Proposed By**	
Name	Anil Singh Garbyal	Name	Anil Singh Garbyal
Designation	Staff Officer	Designation	Staff Officer
Mobile no.	9627759646	Mobile no.	9627759646
IP Address	103.116.26.153	IP Address	103.116.26.153
On date	02/07/2024	On date	01/06/2024

District Name	Tehri Garhwal
Sub District Name	Balganga
Old Village Name(In English)	Bangoan
New Village Name(In English)	Ban Goan
Village Name (In Local language)	बणगाँव
Village Effective Date	02/07/2023
Village Status	Inhabitant

उत्तरांचल शासन
भूमि संसाधन शाखा
(राजस्व विभाग)

OC | RA

संख्या 78/राजस्व/2002
देहरादून: दिनांक: 01 जुलाई 2002

आदेश/विविध

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1-1951) की धारा-3 की उप धारा (25) सपठित धारा-86 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 (अधिनियम संख्या-2 सन् 2000) के उपबन्धों के अनुसरण में श्री राज्यपाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम कोन्ती, पट्टी केमर, तहसील घनसाली के हेमलेट ग्राम बनगांव को पृथक राजस्व ग्राम "बणगांव" गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, किन्तु इस प्रकार इस आदेश में किसी बात का प्रभाव, किसी ऐसे न्यायालय में जो अब तक उक्त क्षेत्र के संदर्भ में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहा है, प्रारम्भ की गई अथवा विचाराधीन विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

2- इस प्रकार गठित नये राजस्व ग्राम बणगांव में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या 78(1)/राजस्व/2002, तद्दिनांक।

(1) प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित, जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उनके पत्र संख्या 564/9-74 दिनांक, नई टिहरी, 23 नवम्बर 200[illegible] के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसील भवन पर तथा सम्बन्धित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की ति[illegible] बताते हुये अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तरांचल शासन को दिनांक 01-08-02 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) प्रतिलिपि राजकीय प्रेस रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि [illegible] कृपया इसे दिनांकी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "क" में प्रकाशित करा[illegible]

क्रमशः 2

(2) ... शासन को उपलब्ध कर उसकी 50-50 प्रतियाँ (हिन्दी/अंग्रेजी) शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) प्रतिलिपि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून ।

(4) मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

(5) निदेशक, सूचना, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

(शोहन लाल)

अपर सचिव।

कार्यालय तहसीलदार धनोल्टी

संख्या-मेमो/रजि०-राजस्व ग्राम/[illegible] धनोल्टी/दि० 17.2.2002

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु/प्रकाश[illegible],

1- खण्ड विकास अधिकारी [illegible] धनोल्टी।

2- तहसील कार्यालय धनोल्टी।

3- पटवारी [illegible],

4- सम्बन्धित ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने हेतु द्वारा पटवारी [illegible],

5- कार्यालय प्रति।

तहसीलदार

धनोल्टी

17.2.02

Signed by Anil Singh Garbyal
Date: 02-07-2024 11:41:14